भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3764

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

3764. श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनुसूचित जाति के अनेक पात्र छात्रों को समय पर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है या लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति निधि जारी करने में विलंब, भुगतान में विफलता और छात्रों को प्रभावित करने वाली अन्य समस्याओं के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सरल बनाने, निधि का समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करने, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में सुधार करने, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और आय सीमा में संशोधन करने का विचार है ताकि अधिक पात्र छात्र लाभान्वित हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो इन उपायों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करता है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए, योजना के आवेदन निर्दिष्ट ऑनलाइन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर उपयुक्त तंत्र के साथ आवेदन आमंत्रित करने, आगे की प्रक्रिया, सत्यापन और अन्य

कार्यान्वयन पहलुओं के लिए प्रमुख तौर-तरीकों को निर्धारित करते हैं। छात्रवृत्ति राशि के केंद्रीय हिस्से का वितरण पूरी तरह से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने हिस्से का संवितरण करने और अंतिम रूप से सत्यापित भुगतान संबंधी डेटा के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भेजने पर निर्भर करता है।

अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया था। इससे निधियों का प्रवाह सरल और त्वरित हुआ है और इससे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। आधार से बैंक भुगतान ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है और छात्रवृत्ति वितरण में देरी को कम किया है।

देश भर में योजना के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने, सोशल मीडिया अभियान चलाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। साथ ही, हितधारकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविरों, क्षेत्रीय बैठकों और राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से विभाग द्वारा योजना की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(ग) और (घ): योजना की समीक्षा और संशोधन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श से किया जाता है।
